न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 187/2016

1. गुरनूर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह
2. सिमरनजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत

} जाति जटसिख निवासीगण 5 एल.एन.पी. पोस्ट चक महाराज का तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. अमरजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. पोस्ट चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. खुशमन कौर पुत्री श्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी पोस्ट चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 29-11-16

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 1 का पिता तथा वादीया संख्या 2 का पति है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी संख्या 1 की बहिन व वादी संख्या 2 की पुत्री है। वादीगण के पिता/पति प्रतिवादी संख्या 1 अमरजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. पोस्ट चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के नाम से चक 5 एल.एन.पी पटवार मण्डल चकमहाराज का भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 4/4 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072) का मुरब्बा नम्बर 7, 14 व 19 की कुल 8.538 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है तथा पैतृक सम्पत्ति है।

उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 तथा वादीगण की पैतृक सम्पत्ति हैं तथा जद्दी जायदाद होने के कारण इसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है तथा वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि चक 5 एल.एन.पी पटवार मण्डल चकमहाराज का भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 4/4 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072) का मुरब्बा नम्बर 7, 14 व 19 की कुल 8.538 हैक्टर कृषि भूमि में हिस्सा बनता है।

उक्त 8.538 हैक्टर कृषि भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण की मुशतर्खा खाता की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने घरू बंटवारा करके वादीगण को मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 1 ता 10 (2.530) कुल 2.530 हैक्टेयर नहरी भूमि (वादी संख्या 1 को 6–00 बीघा तथा वादीया संख्या 2 को 4–00 बीघा) घरू बंटवारा में दी हुई है, जिस पर वादीगण मौका पर काबिज है तथा मौका पर वादीगण की फसल खड़ी है।

प्रतिवादी संख्या 1 से वादीगण ने घरू बंटवारा अनुसार भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाने का कई बार अनुरोध किया है तथा कहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 15.09.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को उनके हिस्से की भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर देने से इन्कार कर दिया है तथा उसने वादीगण को धमकी दी है कि वह इस भूमि को विक्रय कर देगा। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण को हक व न्याय नही देना चाहता है।उक्त जददी जायदाद में से वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते है। इसलिए यह दावा लाना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण चक 5 एल.एन.पी. का मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 1 ता 10 (2.530) कुल 2.530 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि की डिक्री वादीगण के हक में जारी की जाकर, वादीगण को इस भूमि में से 1.518 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 1 को व 1.012 हैक्टर का वादी संख्या 2 को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण की भूमि उनके नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 27.09.2016 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि इस प्रकरण में गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई मनमुटाव नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवा दिया है तथा बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को चक 5 एल.एन.पी का मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 1 ता 10 (2.530) कुल 2.530 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से वादी गुरनूर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह को 1.518 हैक्टर भूमि, सिमरनजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह को 1.012 हैक्टर भूमि शेष भूमि का मालिक प्रतिवादी संख्या 1 अमरजीत सिंह रहेगा।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 अपनी स्वेच्छा से उक्त भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती है। यदि उक्त वर्णित अनुसार बंटवारा कर डिक्री पारित कर दी जावें एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया जावे तो मिकरान को कोई एतराज ना होगा।

दिनांक 04.10.2016 को राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय हेतु आवेदित है।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया। हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार उभयपक्ष द्वारा अपनें राजीनामा में किये गये कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को चक 5 एल.एन.पी का मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 1 ता 10 (2.530)

A 3

कुल 2.530 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से वादी गुरनूर सिंह को 1.518 हैक्टर भूमि, सिमरनजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह को 1.012 हैक्टर भूमि शेष भूमि का मालिक प्रतिवादी संख्या 1 अमरजीत सिंह रहेगा स्वीकार किया जानें पर वाद वादी पोषणीय पाया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद पत्र में वर्णित उक्त भूमि में वादीगण को चक 5 एल.एन.पी का मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 1 ता 10 (2.530) कुल 2.530 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से वादी गुरनूर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह को 1.518 हैक्टर भूमि, सिमरनजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह को 1.012 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत बरूवे राजीनामा वादीगण को चक 5 एल.एन.पी पटवार मण्डल चक महाराज का भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 4/4 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072) का मुरब्बा नम्बर 7, 14 व 19 की कुल 8.538 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है, में से चक 5 एल.एन.पी के मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 1 ता 10 (2.530) कुल 2.530 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से वादी गुरनूर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह का 1.518 हैक्टर भूमि, तथा सिमरनजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह का 1.012 हैक्टर भूमि का विभाजन किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान अलग से कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 29-11-16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर